001

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 06 फरवरी

विषयः नेशनल पशुधन मिशन योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2390/नि–5/एक(39)NLM/2017–18 दि अगस्त 2017 एवं पत्र संख्या–4382/नि–5/एक(1)NLM/2017–18 दिनांक 28 नवम्बर, 2 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नेशनल ला मिशन केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में सामान्य पक्ष एवं स्पेशल पक्ष में क्रमश लाख तथा ₹7.81 लाख सहित कुल राज्यांश ₹52.68 लाख (बावन लाख अठासी हजार वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :–

1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपल सुनिश्चित करेगें।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र पी०एम०–8 पर विभाग सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगता अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समयक्ष स्तर से स्वी रिक्त पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इ भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(5) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

(6) बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा पी०एम०–10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंर्ज स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिनके नमू समस्त कोषागार में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रक अनियमितता/दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(9) योजनान्तर्गत नेशनल लाईवस्टॉक मिशन योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाई तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-28 के ले -2403-पशुपालन-00-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-01-केन्द्र द्वारा पुरो योजनायें-0116-नेशनल लाईवस्टाक मिशन(के.पो.)-42-अन्य व्यय एवं अनुदान संख्या लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-00-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-01-के पुरोनिधानित योजनायें -0113-नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजन(के.पो)-42-अन्य व्यय के वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-160/XXVII-4/2017 दिनांक 0 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या: 113 (1)/XV-1/2018 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव